Goodyear India Limited
Corporate Office :
9th Floor, Emaar Capital Tower - II
Sector 26, MG Road
Gurgaon, Haryana - 122002
email: gyi_info@goodyear.com

November 22, 2025

To
The Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 500168
ISIN: INE533A01012

Sub: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement - Postal Ballot Notice and e-voting information

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisements regarding the Postal Ballot Notice and e-voting information published in the following newspapers:

- The Financial Express (National English language daily newspaper) on November 22, 2025; and
- Jansatta (Regional language daily newspaper) on November 22, 2025.

We request you to take the above information on record.

Thanking You.

Yours sincerely,
For **Goodyear India Limited**

ANUP KARNWAL
Digitally signed by ANUP KARNWAL
Date: 2025.11.22 12:53:36 +05'30'

Anup Karnwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above

US TARIFF EFFECT

Russian Urals discounts in India triple since Aug

Cargoes for Dec delivery currently trade at discounts of $5-$6 a barrel

REUTERS
Moscow, November 21

DISCOUNTS FOR RUSSIAN flagship Urals crude in Indian ports have tripled since August against dated Brent as US sanctions drive key buyers away from Moscow-supplied oil, three sources involved in the trade said.

The US last month imposed its toughest sanctions yet on Russia's energy sector, targeting oil majors Lukoil and Rosneft. Friday marks the deadline for companies to wind down all dealings with the two producers.

Urals crude has been a mainstay feedstock for Indian refiners since 2023, when Moscow redirected flows to Asia after the European Union banned Russian energy. But supplies to India are set to fall sharply as most refiners suspend purchases, traders said.

Reliance Industries, the nation's largest private refiner, stopped importing Russian crude into its Jamnagar complex in Gujarat effective November 20, a company spokesperson said on Thursday.

Despite the sanctions, Russia's oil exports from western ports remain near peak levels, supported by OPEC+ output allowances and domestic refinery outages caused by Ukrainian drone strikes.

Urals cargoes for December delivery are trading at discounts of $5–$6 a barrel to dated Brent, about three times wider than the $1–$2 seen in August, according to traders and Reuters calculations.

The price for Russian oil delivered to Indian ports is typically set on a delivered-ex-ship basis, meaning the price excludes transport costs and other charges borne by the seller.

Urals crude free-on-board at Russian ports is currently estimated at around $20 per barrel, depending on cargo and supplier, traders said. Most shipments are handled by Russia-linked "shadow fleet" vessels, allowing Moscow to retain part of the margin from the price differential. Freight rates have held steady despite sanctions on vessels. An Aframax tanker carrying about 700,000 barrels from Baltic ports costs around $7.5 million for a one-way voyage, while a Suezmax trip runs $8–$8.5 million, traders said.

OIL POLITICS

- US sanctions have driven key buyers away from Moscow-supplied oil
- Last month, US had imposed toughest yet curbs yet on Russia's energy sector, targeting oil majors
- Urals crude has been a mainstay feedstock for Indian refiners since 2023

■ But supplies to India set to fall sharply as most refiners suspend purchases

G20: PM in South Africa to 'strengthen ties'

PRESS TRUST OF INDIA
Johannesburg, November 21

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Friday said he was looking forward to "productive discussions" with world leaders on key global issues as he arrived here to attend the G20 Leaders' Summit being hosted by South Africa.

Modi arrived at Waterkloof Air Force Base (AFB) in Gauteng, where he was accorded a warm and ceremonial welcome. He was greeted with a red-carpet salute from the South African Air Force.

"Landed in Johannesburg for the G20 Summit related engagements. Look forward to productive discussions with world leaders on key global issues," Modi said in a social media post. This is the first G20 Summit being held in Africa.

The African Union became a member of the G20 during India's presidency in 2023.

"Our focus will be on strengthening cooperation, advancing development priorities and ensuring a better future for all," the prime minister said.

"Deeply touched by the warm welcome from the Indian community in Johannesburg.

"This affection reflects the enduring bond between India and South Africa. These ties, rooted in history and strengthened by shared values, continue to grow even stronger!" Modi said. On the margins of the summit, the prime minister will hold bilateral meetings with some of the leaders present in Johannesburg.

Prime Minister Narendra Modi being welcomed by the Indian diaspora in Johannesburg on Friday ANI

Households allocating bigger share of monthly bill to non-food spending

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 21

HOUSEHOLDS ARE NOW allocating a greater share of household consumption expenditure to non-food spending on consumables and services, and durable goods, according to a working paper of the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM).

EAC-PM in a working paper titled 'Changes in Durable Goods Ownership in India: Analysis of the Household Consumption Expenditure Survey 2011-12 and 2023-24' on Friday noted that the share of of the monthly per capita expenditure (MPCE) spent on durables has risen in both rural and urban areas, with the rural share slightly surpassing that of urban households in many states.

EAC-PM noted the share of monthly per capita expenditure spent on durables has risen in rural, urban areas

Further, in absolute values (rupees), spending has increased across all states and sectors, with higher absolute expenditure in urban households. "Consequently, a greater share of household consumption expenditure is now non-food spending on consumables and services, and durable goods. Consumables and services are the largest component of household spending in urban areas," the paper said.

It said mobile phone ownership has increased across the board. "There is near universal access for mobiles, reflecting the improved inter-connectedness and access to communication for nearly the entire population," the report said.

Driven by affordable and faster network connectivity, the paper said mobiles are emerging as the instrument of choice for information.

Centre to release new GDP series on Feb 27

FE BUREAU
New Delhi, November 21

THE MINISTRY OF Statistics and Programme Implementation will release a new series of national accounts with FY23 as the base year on February 27.

Ahead of the revision, MoSPI has issued a discussion paper on methodological improvements in compiling national accounts through the production and income approaches, and invited comments from experts and stakeholders by December 10, 2025. The revision is guided by the Advisory Committee on National Account Statistics chaired by BN Goldar.

A second paper, detailing changes in the expenditure approach, will be released later.

MoSPI said the update aims to incorporate new data sources and improve the accuracy and relevance of national accounts for policy analysis. The ministry added that broad stakeholder participation will help ensure the robustness of the revised GDP series.

CAG launches pan-India audit on MSME ease of doing biz

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 21

THE COMPTROLLER AND Auditor General of India has initiated an audit of reforms implemented by states and UTs to improve the ease of doing business for the micro, small and medium enterprise (MSME) sector.

The pan-India horizontal audit cutting across states aims to evaluate how effectively states and Union Territories have implemented reforms to improve the business environment for MSMEs — one of India's most critical engines of economic growth.

"The audit will assess whether MSMEs receive efficient, transparent, and timely services from public institutions. It will evaluate the progress made in simplifying regulations, digitising processes, and decriminalising minor offences that affect businesses," Pravir Pandey, Additional Deputy CAG (Railways), said during an interaction.

This initiative aligns with national priorities such as Viksit Bharat @2047 and Business Reform Action Plan 2024 spearheaded by the Department of Promotion of Industries and Internal Trade, he said. Earlier this year, Comptroller and Auditor General of India Sanjay K Murthy had emphasised the strategic shift in CAG's approach, moving beyond traditional financial and compliance checks to evaluating outcomes and the effectiveness of reforms.

Giving details, Pandey said the audit will assess whether MSMEs receive efficient, transparent, and timely services from public institutions.

It will evaluate the progress made in simplifying regulations, digitising processes, and decriminalising minor offences that affect businesses.

The audit is being coordinated by Manish Kumar, principal accountant general, West Bengal.

GOODYEAR

GOODYEAR INDIA LIMITED
(CIN: L25111HR1961PLC008578)
Registered Office: Mathura Road, Ballabgarh (Dist. Faridabad) - 121004, Haryana, India
Telephone: 0129-6611000
E-mail: goodyearindia_investorcell@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given to the Members of Goodyear India Limited **("the Company")** that the Company is seeking approval from the Members by way of:

i. Special Resolution for the appointment of Mr. Gajanan Vithal Gandhe (DIN: 02023395) as an Independent Non-Executive Director of the Company; and

ii. Special Resolution for the payment of an additional remuneration amounting to Rs.6,34,774/- towards perquisites being reimbursement of Notice period payout made to Mr. Sandeep Garg (DIN: 10360979) as Whole Time Director and Chief Financial Officer of the Company by means of Postal Ballot through voting by electronic means only ("remote e-voting").

The said Notice is also available on the website of the Company at **www.goodyear.co.in/investor-relations,** website of BSE Limited at **www.bseindia.com** and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at **www.evoting.nsdl.com.** Any Member who has not received the Notice may write to the Company's email address at goodyearindia_investorcell@goodyear.com or Registrar and Transfer Agent ("RTA") at **srikant@skylinerta.com.**

Pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") as amended from time to time, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and other applicable provisions, if any, of the Act, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), inter-alia, for conducting Postal Ballot through remote e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024 and Circular No. 3/2025 dated September 22, 2025 and other relevant circulars (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR, 2015") as amended from time to time, and as per Secretarial Standard-2 on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") , as amended, and pursuant to other applicable provisions, if any, for the time being in force, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement on Friday, **November 21, 2025** only through electronic mode to all those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depositories and whose name are recorded in the Register of Members as on Monday, November 17, 2025 ("Cut-off date"). The requirement for sending a physical copy of the Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA Circulars.

The Company has engaged the services of NSDL for the purposes of providing remote e-voting facility to all its Members as on Cut off date. The remote e-voting shall be available from 9:30 A.M. (IST) on Monday, November 24, 2025 up to 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, December 23, 2025, thereafter the remote e-voting module shall be blocked by NSDL. Once a Member casts the vote on the Resolution, it cannot be modified subsequently. Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. Monday, November 17, 2025, are entitled to cast their votes on the Resolution(s) as specified in the notice of postal ballot. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Cut- off date. The communication of the assent or dissent of the Members would take place only through remote e-voting system.

Manner of registering / updating email addresses:

(a) Members holding shares in physical form, who have not registered their email addresses with the Company, may register their email address by providing the details in prescribed Form ISR-1 as available on the website of the Company, self-attested scanned copy of PAN linked with Aadhar, self-attested scanned copy of Aadhar Card and such other documents as prescribed in Form ISR-1 to the email address of the Company at **goodyearindia_investorcell@goodyear.com** or to the RTA at **srikant@skylinerta.com**.

(b) Members holding shares in demat form, who have not registered their email addresses with the Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with their Depository Participants.

The Board has appointed APAC & Associates LLP, Company Secretaries (ICSI Unique Code – P2011DE025300) represented by its partner, Mr. Chetan Gupta, (COP No.- 7077), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit their report to the Chairman of the Company ("the Chairman") or any other person authorized by the Chairman. The results of the postal ballot and remote e-voting will be announced within the prescribed timelines and will be displayed at the Registered Office and Corporate Office of the Company. The declared Result, along with the Scrutinizer's Report, will be available on the Company's website at **www.goodyear.co.in/investor-relations** and shall also be communicated to BSE Limited and NSDL.

In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions for Members and e-voting user manual for Members available at the "Download" section of **www.evoting.nsdl.com.** For any grievance related to the remote e-voting, Members may call on the toll free no. 022 - 4886 7000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Vice-President, NSDL, National Securities Depository Limited 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400 051, at **evoting@nsdl.com.** Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address at **goodyearindia_investorcell@goodyear.com.**

For **GOODYEAR INDIA LIMITED**
Sd/-
Anup Karnwal
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: November 21, 2025
Place: Gurugram

Groww

BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED
(Formerly known as Billionbrains Garage Ventures Private Limited)

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
For the quarter & half year ended September 30, 2025

The Board of Directors of the company, at its meeting held on November 21, 2025, approved standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025.

You can view the results along with the limited review report by scanning the QR code shown below or by visiting the link: *https://groww.in/investor-relations/performance/quarterly-results*

For and on behalf of the Board of Directors
Billionbrains Garage Ventures Limited
Sd/-
Lalit Keshre
Whole Time Director & CEO
DIN: 02483558

Location: Bengaluru
Date: November 21, 2025

Issued in accordance with Regulation 33 and Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Registered & Corporate Office: Vaishnavi Tech Park, South Tower 3rd Floor, Survey No, 16/1 and 17/2 Ambalipura Village, Varthur Hobli, Bellandur, Bengaluru 560103, Karnataka, India | Telephone: +91 80 6960 1300 | E-mail: corp.secretarial@groww.in | Website: www.groww.in | Corporate Identity Number: U72900KA2018PLC109343

EaseMyTrip.com
Bharat ka Travel App

EASY TRIP PLANNERS LIMITED
CIN: L63090DL2008PLC179041
Registered Office: 223, FIE Patparganj Industrial Area Delhi 110092, India | Tel No: +91- 11 43030303, 41066546
Website - www.EaseMyTrip.com | email - emt.secretarial@easemytrip.com

Corrigendum to Postal Ballot Notice

This Corrigendum to the public announcement dated November 04, 2025 ("the Public Announcement") is in continuation of and should be read in conjunction with the Public Announcement issued in connection with the postal ballot notice of the company.

In compliance with the directions issued by National Stock Exchange of India Limited, the company has made the following amendment in the Postal Ballot Notice dated November 04, 2025:

- The exact path where the valuation report and PCS certificate are displayed on the website has been disclosed in the corrigendum to the Postal Ballot Notice.
- The UBO details given in second table in the existing point no. 16 of the Explanatory Statement to the notice has been rectified in the corrigendum to the Postal Ballot Notice.

In case any shareholder, including the shareholders who have already voted, has any query in respect of the above may write to the Group Company Secretary and Chief Compliance Officer on emt.secretarial@easemytrip.com and the Scrutinizer appointed for the ongoing postal ballot on manisha.pcs@gmail.com on or before December 04, 2025 (05.00 P.M. IST).

Note: Except as detailed in this corrigendum, the contents and other terms of the Public Announcement remain unchanged.

Date: November 21, 2025
Place: Delhi

For Easy Trip Planners Limited
Sd/-
Priyanka Tiwari
Group Company Secretary
and Chief Compliance Officer

खबर कोना

किसानों के साथ 26 नवंबर को श्रम कानून के विरोध में उतरेंगे श्रम संगठन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 नवंबर।

केंद्रीय श्रम संगठनों ने चार श्रम कानूनों को लागू करने की निंदा करते हुए इसे केंद्र सरकार का देश के मेहनतकश लोगों के साथ धोखा करार दिया है। इन कानूनों को सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती बताते हुए 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों के साथ मिलकर, देश भर में श्रम कानूनों का विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के एक वर्ष से अधिक दिनों तक जारी संघर्ष के पांच साल पूरा होने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का पहले ही एसकेएम ने घोषणा कर दी है। संयुक्त मंच ने श्रम कानूनों को वापस लेने की अपील करते हुए काले पट्टे लगाकर विरोध दर्ज करने और सोमवार से बैठकें, नुक्कड़ जैसी गतिविधियां आयोजित करने की अपील की है। केंद्रीय श्रम संगठनों ने श्रम संहिताओं को लेकर पहले दिन से विरोध जताए हैं।

'पोश' शिकायतों से संबंधित याचिका पर केंद्र, बीसीआइ को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 21 नवंबर (ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआइ) से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि पोश अधिनियम वकीलों द्वारा बार काउंसिल के समक्ष अन्य वकीलों के खिलाफ की गई शिकायतों पर लागू नहीं होता। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने नोटिस जारी किया तथा मामले को इसी तरह की एक याचिका के साथ संलग्न कर दिया। शीर्ष अदालत बंबई हाई कोर्ट के सात जुलाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट महिला वकील एसोसिएशन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दलील दी गई कि हाई कोर्ट के आदेश ने महिला वकीलों को उपायहीन बना दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) विधिज्ञ परिषदों (बार काउंसिल) पर लागू नहीं होगा। इसने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि महिला वकील, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत बार काउंसिल से संपर्क कर सकती हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अधिनियम की धारा 35 पेशेवर कदाचार के लिए वकीलों की सजा से संबंधित है।

मछुआरा समुदायों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने की जरूरत : राहुल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 नवंबर

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर कहा कि देश के विभिन्न मछुआरा समुदायों लिए बेहतर सुरक्षा, उचित मूल्य, आधुनिक सुविधाएं और सम्मान सुनिश्चित करने की जरूरत है।

राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि विश्व मत्स्य पालन दिवस पर, मैं भारत भर में मछली पकड़ने वाले समुदायों के साथ खड़ा हूं, जो हमारे समुद्र के विशाल तटों से लेकर हमारी नदियों, झीलों और तालाबों तक से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारी थालियां भरी रखते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को गतिमान रखते हैं। आप हमारे जल के संरक्षक, सदियों पुराने ज्ञान के रखवाले और भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने का एक अविभाज्य हिस्सा हैं।

> कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने 'एक्स' पर लिखा कि मैं भारत भर में मछली पकड़ने वाले समुदायों के साथ खड़ा हूं, जो हमारे समुद्र के विशाल तटों से लेकर हमारी नदियों, झीलों और तालाबों से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि आइए हम बेहतर सुरक्षा, उचित मूल्य, आधुनिक सुविधाएं, स्वच्छ और स्वस्थ नदियां और समुद्र, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और वह सम्मान और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करें जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है।

जयपुर के एक स्कूल में छात्रा की आत्महत्या का मामला

पीड़िता ने आखिरी समय में पांच बार मांगी थी शिक्षक से मदद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 नवंबर।

सीबीएसई की एक जांच रपट में यह बात सामने आई है कि जयपुर के एक स्कूल में आत्महत्या करने वाली चौथी कक्षा की छात्रा को उसकी कक्षा में 18 महीने से ज्यादा समय तक 'परेशान' किया गया तथा सहपाठी उसके खिलाफ 'बुरे शब्द' का इस्तेमाल करते थे जबकि स्कूल अच्छा माहौल बनाए रखने में नाकाम रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में स्कूल की इमारत से कूदकर जान देने वाली नौ वर्षीय लड़की की मौत की जांच के लिए गठित समिति की रपट मिलने पर यह नोटिस जारी किया। इस बीच, राजस्थान पुलिस ने कहा है कि घटना के 'आपराधिक पक्ष' की जांच जारी है। जांच समिति ने स्कूल की तरफ से कई कमियों की ओर इशारा किया, जिसमें लड़की को लगातार परेशान किए जाने की ओर ध्यान दिलाया गया, और बताया गया कि उसके माता-पिता ने सबसे पहले जुलाई 2024 में शिक्षकों के सामने यह मुद्दा उठाया था। समिति ने पाया कि कक्षा अध्यापक ने बच्ची की दिक्कतों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, तब भी जब लड़की अपनी जिंदगी के आखिरी 45 मिनट में पांच बार शिक्षक के पास मदद मांगने गई। कक्षा चार की बच्ची ने एक नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से

> बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में स्कूल की इमारत से कूदकर जान देने वाली नौ वर्षीय लड़की की मौत की जांच के लिए गठित समिति की रपट मिलने पर यह नोटिस जारी किया।

कूदकर जान दे दी थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएसई की दो सदस्यीय समिति ने अगले दिन स्कूल का मुआयना किया था और बच्ची के अभिभावकों से बातचीत की थी। बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस में कहा, 'समिति को दिए गए माता-पिता के बयानों के मुताबिक, यह साफ है कि स्कूल ने सहपाठियों द्वारा परेशान किए जाने और चिढ़ाए जाने की बार-बार की शिकायतों पर कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की। कक्षा अध्यापक और स्कूल प्रबंधन को बच्ची को प्रताड़ित किए जाने के बारे में अच्छी तरह पता था।' बोर्ड ने कहा कि माता-पिता की कक्षा अध्यापक और स्कूल प्रबंधन से की गई बातचीत और संदेश को अनसुना कर दिया गया। नोटिस में कहा गया कि कक्षा अध्यापक ने अपने लिखित बयान में माना है कि मृतक छात्रा ने उन्हें बताया था कि उसके सहपाठी उसके लिए 'बुरे शब्दों' का इस्तेमाल करते हैं।

चिकित्सा उपकरण खरीद में भारतीय लाइसेंस जरूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 नवंबर।

देशभर के अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों सहित अन्य जगहों पर चिकित्सा उपकरण खरीद में भारतीय लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने अस्पताल सहित अन्य सभी खरीद एजंसियों को निर्देश जारी कर संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) या यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (सीइ) प्रमाणन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। नए नियम के तहत केंद्र सरकार के चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के अंतर्गत सीडीएससीओ या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। इसे लेकर सीडीएससीओ के भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सा उपकरण की खरीद में भारतीय लाइसेंस अनिवार्य होगा। अभी तक ऐसा पाया गया है कि कई अस्पताल और खरीद एजंसियां चिकित्सा उपकरण की तकनीकी बोली में यूएसएफडीए या सीइ प्रमाण पत्र को अनिवार्य बना रही थीं, जबकि भारत में चिकित्सा उपकरण की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही मजबूत कानूनी व्यवस्था मौजूद है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के अनुसार भारत में बिना वैध लाइसेंस के कोई भी चिकित्सा उपकरण बेचा नहीं जा सकता। देश में चिकित्सा उपकरण को जोखिम के आधार पर चार श्रेणियां हैं। किसी भी कंपनी को भारत में बिक्री व वितरण से पहले संबंधित प्राधिकरण से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

> देश में चिकित्सा उपकरण को जोखिम के आधार पर चार श्रेणियां हैं।

सबरीमला मामला : पूर्व टीडीबी प्रमुख पद्मकुमार ने रेकार्ड में फेरबदल किया

तिरुवनंतपुरम, 21 नवंबर (भाषा)।

सबरीमला मंदिर में द्वारपालकों की मूर्तियों पर चढ़ा सोना गायब होने से जुड़े मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए पूर्व टीडीबी अध्यक्ष ए पद्मकुमार ने अभिलेखों में मूर्तियों पर सोने की परत वाली तांबे की चादर के जिक्र को बदलकर सिर्फ तांबे की चादर कर दिया।

कोल्लम सतर्कता न्यायालय में दायर रिमांड रपट में यह बात दावा किया गया है, जहां पद्मकुमार को गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद पेश किया गया था। रपट के मुताबिक, पद्मकुमार ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर देवस्वोम मैनुअल खंड 2, अध्याय 9 के मानदंडों का उल्लंघन किया, जो सबरीमला मंदिर से कीमती सामान बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पूर्व विधायक पद्मकुमार ने 2019 में टीडीबी के अध्यक्ष में रूप में सेवाएं दी थी। एसआइटी ने उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

'अगले पांच साल की 90% कमाई और सारी संपत्ति पार्टी को दान करेंगे'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 नवंबर।

बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पश्चिमी चंपारण में अपना एक दिवसीय मौन उपवास समाप्त कर दिया।

इसके बाद प्रशांत किशोर ने एलान किया, अगले पांच वर्षों तक अपनी आमदनी का 90 फीसद धन, जन सुराज को दान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, एक घर के अलावा पिछले 20 वर्षों के दौरान अर्जित सभी संपत्ति जन सुराज को दान कर देंगे। प्रशांत किशोर ने उपवास खत्म करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, महात्मा गांधी के विचारों और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर एक बार फिर व्यापक जनसंपर्क और संवाद का अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, 15 जनवरी से बिहार के सभी एक लाख 18 हजार वार्डों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे और 'बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान' के जरिए सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा कराएंगे।

> प्रशांत ने कहा, एक घर के अलावा पिछले 20 वर्षों के दौरान अर्जित सभी संपत्ति जन सुराज को दान कर देंगे।

प्रशांत किशोर ने चुनाव के नतीजों को जनता के साथ अन्याय करार दिया और कहा, सरकार ने 10-10 हजार रुपए में गरीब परिवारों के मतों को खरीदा है, ये बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान के मूल भावना की अवहेलना है। उन्होंने कहा, ऐसे नतीजों को स्वीकार करना मुश्किल है और जन सुराज जनता की उम्मीदों और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से अपनी भूमिका निभाएगा।

KAJARIA CERAMICS LIMITED
[CIN: L26924HR1985PLC056150]
Registered Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon, Haryana-122001,
Phone +91-124-4081281
Corporate Office: J-1/ B-1 (Extn.), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi- 110044
Phone: +91-11-26946409, Fax: +91-11-26946407
Website: www.kajariaceramics.com
E-mail: investors@kajariaceramics.com

NOTICE

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES OF KAJARIA CERAMICS LIMITED

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, Shareholders of Kajaria Ceramics Limited ('the Company') are hereby again informed that a Special Window is opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares of the Company.

This facility is available for Transfer Deed(s) lodged prior to April 1, 2019 and which were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process or otherwise.

Shareholders of the Company who have missed the earlier deadline of March 31, 2021, are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. MCS Share Transfer Agent Limited at 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi -110020.

For **Kajaria Ceramics Limited**
Sd/-
Ram Chandra Rawat
COO (A&T) & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: November 21, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों पर नए खनन पट्टे देने पर रोक लगाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 नवंबर।

दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों की सुरक्षा के उद्देश्य से दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार कर लिया है तथा विशेषज्ञों की रपट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके क्षेत्रों में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी है।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार को अपने अंतिम फैसले में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की सुरक्षा के लिए अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसके अनुसार, अरावली पहाड़ी को अरावली जिलों में किसी भी भू-आकृति के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई स्थानीय निचले बिंदु से 100 मीटर या उससे अधिक होगी और अरावली पर्वतमाला एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर दो या अधिक ऐसी पहाड़ियों का संग्रह होगा। समिति ने अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करते हुए कहा कि अरावली जिलों में स्थित कोई भी भू-आकृति, जिसकी स्थानीय निम्न बिंदु से ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो, अरावली पहाड़ियों के रूप में कही जाएगी। ऐसी सबसे निचली समोच्च रेखा से घिरे क्षेत्र के भीतर स्थित संपूर्ण भू-आकृति, चाहे वास्तविक हो या

> प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने अपने अंतिम फैसले में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की सुरक्षा के लिए अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

अनुमानतः रूप से विस्तारित, पहाड़ी के साथ, इसके सहायक ढलान और संबद्ध भू-आकृतियों के साथ, चाहे उनका ढाल कुछ भी हो, अरावली पहाड़ियों का हिस्सा मानी जाएगी।

इसने अरावली पर्वतमाला को भी परिभाषित किया और कहा कि दो या अधिक अरावली पहाड़ियां, जो एक-दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित हों, और यह दूरी दोनों ओर की सबसे निचली समोच्च रेखा की बाहरी सीमा से मापी जाए, तो उन्हें मिलाकर अरावली श्रेणी माना जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया भी शामिल थे। न्यायालय ने टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपद मामले में लंबे समय से चल रहे पर्यावरण मुकदमे से उत्पन्न स्वतः संज्ञान मामले में 29 पृष्ठों का फैसला सुनाया। निर्णय लिखने वाले प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा कि हम समिति की रपट में उल्लिखित अपवादों के साथ प्रमुख/अक्षत क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सिफारिशों को स्वीकार करते हैं।

GOODYEAR

गुडईयर इंडिया लिमिटेड
(CIN: L25111HR1961PLC008578)
पंजीकृत कार्यालयः मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला-फरीदाबाद)- 121004, हरियाणा, भारत
टेलीफोनः 0129-6611000,
ई-मेलः goodyearindia_investorcell@goodyear.com, वेबसाइटः www.goodyear.co.in

पोस्टल बैलेट की सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा गुडईयर इंडिया लिमिटेड ("**दि कंपनी**") के सदस्यों को **सूचित** किया जाता है कि कंपनी निम्नलिखित के लिए सदस्यों से अनुमोदन मांग रही हैः

i श्री गजानन विट्ठल गांधे (डीआईएनः 02023395) को कंपनी के स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव; और

ii कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में श्री संदीप गर्ग (डीआईएनः 10360979) को दिए गए नोटिस अवधि भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए 6,34,774/- रुपये की अतिरिक्त पारिश्रमिक राशि के भुगतान के लिए विशेष प्रस्ताव।

केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा ("रिमोट ई-वोटिंग")।

उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.goodyear.co.in/investor-relations**, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है। कोई भी सदस्य जिसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वह कंपनी के ईमेल पते पर **goodyearindia_investorcell@goodyear.com** या आरटीए को ईमेल पते **srikant@skylinerta.com** पर लिख सकता है।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों, कुछ समय के लिए लागू उसके किसी भी वैधानिक संशोधन (ओ) या पुनः अधिनियमन (ओ) सहित, समय-समय पर संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 ("नियमावली") के नियम 20 व नियम 22 और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, ("एमसीए") द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 तथा अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट आयोजित करने के लिए, समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर, 2015") के विनियम 44, और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 ("एसएस-2") के अनुसार, तथा वर्तमान में लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार कंपनी ने **शुक्रवार, 21 नवंबर, 2025** को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के उन सभी सदस्यों को व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलट नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं और जिनका नाम सोमवार, 17 नवंबर, 2025 ("कट-ऑफ डेट") के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। प्रासंगिक एमसीए परिपत्रों के माध्यम से नोटिस और पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

कंपनी ने कट-ऑफ डेट तक अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 24 नवंबर, 2025 को सुबह 9:30 बजे (आईएसटी) से प्रारंभ होकर मंगलवार, 23 दिसंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) तक उपलब्ध होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट देने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे सदस्य, जिनके नाम कट ऑफ डेट यानी सोमवार, 17 नवंबर, 2025 के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर अपना वोट डालने के हकदार हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कट-ऑफ डेट के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होंगे। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार, केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा।

ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने की प्रविधिः

(क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में विवरण, आधार से जुड़े पैन की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति और फॉर्म आईएसआर-1 में निर्धारित ऐसे अन्य दस्तावेज प्रदान करके वे अपना ईमेल पता कंपनी के ईमेल पते **goodyearindia_investorcell@goodyear.com** पर या आरटीए को **srikant@skylinerta.com** पर पंजीकृत करा सकते हैं।

(ख) डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ रजिस्टर/अपडेट करें।

बोर्ड ने श्री चेतन गुप्ता, (सीओपी नं.-7077) और पार्टनर, एपीएसी एवं एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज (**ICSI Unique Code-P2011DE025300**) को निष्पक्ष और पारदर्शी विधि द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट आयोजित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

संवीक्षक अपनी रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष ("अध्यक्ष") या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे। पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम निर्धारित समय सीमा के अन्दर घोषित किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कारपोरेट कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.goodyear.co.in/investor-relations** पर उपलब्ध होगा और बीएसई लिमिटेड और एनएसडीएल को भी सूचित किया जाएगा।

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण **www.evoting.nsdl.com** के "डाउनलोड" अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, सदस्यगण टोल फ्री नंबर 022 -4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 051 से ईमेल आईडीः **evoting@nsdl.com** पर संपर्क कर करें। सदस्यगण कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते **goodyearindia_investorcell@goodyear.com** पर भी लिख सकते हैं।

कृते गुडईयर इंडिया लिमिटेड
हस्ता/-
अनूप कर्णवाल
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांकः 21 नवंबर, 2025
स्थानः गुरुग्राम

सार्वजनिक सूचना

हमारे ग्राहक, जो एयू रियल एस्टेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (**"मालिक"**) से वाणिज्यिक परिसर, जिसमें (i) भूतल जिसका माप 8271 वर्ग फीट (कवर क्षेत्र) है, (ii) प्रथम तल जिसकी माप 8271 वर्ग फीट (कवर क्षेत्र) है, (iii) द्वितीय तल जिसकी माप 8271 वर्ग फीट (कवर क्षेत्र) है और (iv) तृतीय तल जिसकी माप 8271 वर्ग फीट (कवर क्षेत्र) है, कुल मिलाकर 33,084 वर्ग फीट (कवर क्षेत्र) (**"परिसर"**), शामिल है, को खरीदना चाहते हैं, तथा यह वाणिज्यिक परिसर, कमर्शियल कम्प्लेक्स "फैमिली हब" (**"भवन"**) में स्थित है, जिसका निर्माण, प्लॉट संख्या कमर्शियल-1, आदित्य वर्ल्ड सिटी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप में किया गया है, जिसका खसरा नंबर 1761 माप 1200 वर्ग मीटर है, खसरा नंबर 1762 माप 1700 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1764 माप 300 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1766 का माप 2700 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1832 का माप 1175 वर्ग मीटर और खसरा नंबर 1833 माप 39.53 वर्ग मीटर है, जो गाँव शाहपुर बम्हेटा, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201002 (**"प्लॉट"**) में स्थित है, साथ में (i) निम्नलिखित का विशेष रूप से उपयोग करने का अधिकार शामिल है (क) बेसमेंट फ्लोर से टेरेस फ्लोर तक 2 (दो) एक्सक्लूसिव रिसीविंग लिफ्ट, (ख) ग्राउंड फ्लोर से तीसरी मंजिल तक 2 (दो) एक्सक्लूसिव कस्टमर लिफ्ट, (ग) बेसमेंट फ्लोर से पहली मंजिल तक 2 (दो) एक्सक्लूसिव चेकआउट लिफ्ट, (घ) ग्राउंड फ्लोर से तीसरी मंजिल तक 1 (एक) एक्सक्लूसिव सीढ़ी, (ङ) टेरेस फ्लोर पर सीढ़ी के ऊपर एक्सक्लूसिव ओवरहेड टैंक, (च) बेसमेंट फ्लोर में 102 (एक सौ दो) कारों की पार्किंग के लिए 51 (इक्यावन) स्टैक स्पेस वाला एक्सक्लूसिव पार्किंग क्षेत्र (छ) एक्सक्लूसिव एंट्री/एग्जिट, (ज) एक्सक्लूसिव ओडीयू प्लेटफार्म और अन्य एक्सक्लूसिव क्षेत्र (ii) वहां भवन में रहने वाले अन्य लोगों के साथ आम तौर पर उपयोग करने का अधिकार, (क) कॉमन ड्राइवर के लिए कॉमन शौचालय, (ख) कॉमन रैंप, (ग) बेसमेंट फ्लोर से टेरेस फ्लोर तक कॉमन 1 (एक) सीढ़ी और भवन के दूसरे कॉमन एरिया (**"उक्त संलग्न हिस्से"**) शामिल हैं, की तरफ से यह सूचना दी जाती है। परिसर और संलग्न हिस्सों को संयुक्त रूप से **"उक्त सम्पत्ति"** कहा जाता है।

कोई भी कानूनी संस्था(यों)/व्यक्ति(यों) जिसमें कोई भी सरकारी/सार्वजनिक विभाग, बैंक या वित्तीय संस्थान इत्यादि शामिल हैं, के पास प्लॉट और/या उक्त संपत्ति या उसके किसी भी भाग के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा, अधिकार, शीर्षक, दावा, लाभ, मांग और/या हित है या होने का दावा किया जाता है या प्लॉट और/या उक्त संपत्ति के मालिक के शीर्षक पर कोई आपत्ति है या यदि किसी संस्था(यों)/व्यक्ति(यों) को, यदि उनको उक्त प्लॉट के संबंध में, किसी हस्तांतरण, बिक्री, समझौते, विनिमय, वसीयत, अधित्याग, त्याग, लिस-पेंडेंस, समनुदेशन (असाइनमेंट), चार्ज, वसीयत, उपहार, लाइसेंस, पट्टा, उप-पट्टा किरायेदारी, उप-किरायेदारी, विरासत, रखरखाव, ग्रहणाधिकार, बंधक, दृष्टिबंधक, प्रभार, आउटगोइंग, रखरखाव, भार, लंबित मुकदमे, कब्जा, सुखभोग, विकल्प, ट्रस्ट, कब्जा, रास्ते का अधिकार, अविभाजित हिस्सा, रिजर्वेशन, प्रसंविदा या किसी भी प्रकृति की कोई शर्त, पूर्व क्रय के लिए प्रथम अस्वीकृति का अधिकार, संविदा/समझौता, विकास अधिकार (डेवलपमेंट राइट्स), साझेदारी, पारिवारिक व्यवस्था/निपटान, किसी कोर्ट का डिक्री या ऑर्डर, सरकार या किसी अन्य इकाई द्वारा अधिग्रहण के संबंध में प्रतिबंध या कोई और रुकावट या अवरोध प्राप्त है, तो ऐसी इकाई/व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह) दिनों के अंदर नीचे दिए गए पते पर प्रलेखित साक्ष्य के साथ हमें लिखित में सूचना देनी होगी, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि प्लॉट और/या उक्त सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से में या उसके संबंध में किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल अधिकार, टाइटल, हित, हिस्सा, दावा, लाभ या मांग मौजूद नहीं है और मालिक का प्लॉट और/या बताई गई प्रॉपर्टी पर बिना किसी रुकावट के कब्ज़ा है और उसे समग्र, स्पष्ट और विपणनयोग्य अधिकार, शीर्षक और हित प्राप्त है।

दिनांकः 22 नवंबर 2025

मै. देसाई और दीवानजी
एडवोकेट और सॉलिसिटर
16वीं मंज़िल, टावर सी, बिल्डिंग नंबर 5 (डीएलएफ एपिटोम)
डीएलएफ फेज़ – III, गुरुग्राम – 122002

ऐक्सिस बैंक लि0 **कब्जे की नोटिस**

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री बलवीर सिंह (ऋणी) पुत्र श्री रघुवीर सिंह **पताः 1.** 02, अद्दा टीला, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, पिलखार, इटावा-206003, **पताः 2.** गाटा नं0 87, मोहल्ला अद्दा टीला, मौजा सुन्दरपुर, निकट आगरा-कानपुर रोड इटावा 206003, श्री रघुवीर सिंह (सह-ऋणी) पुत्र श्री राम किशन पताः नगला वेरी, राजपुरा, तोताराम बसरेहर, इटावा-206253	रिहायशी सम्पत्ति स्थित गाटा नं0 87 पर मकान, मोहल्ला अद्दा टीला, मौजा सुन्दरपुर, निकट आगरा-कानपुर रोड इटावा, **एरियाः 126.39** वर्ग मीटर, सम्पत्ति बलवीर सिंह के नाम, **चौहद्दी**-पूरब-प्लॉट ज्योति, पश्चिम-प्लॉट मान सिंह, उत्तर-20 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण-रामलखन आदि के खेत।	**रू0 7095076.43** **रू0 27793.58** दि. 06.06.2025 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	10.06.2025	17.11.2025

दिनांकः 22.11.2025 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0